

राजस्थान सरकार

राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर



राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर ☎ +91-141-2702477, 2702528

Web:- minority.rajasthan.gov.in/Madarasa_Board

E-mail:- rajmadarsaboard@gmail.com



क्रमांक: एफ.रामबो/संस्था/2022-23/ 477

दिनांक: 16/01/2023

समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
राजस्थान

विषय:- सदर-सचिव द्वारा बोर्ड कार्यालय के आदेश की पालना नहीं करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बोर्ड कार्यालय के आदेश क्रमांक 1963-71, 1972-80 एवं 1981-89 दिनांक 14.01.2023 द्वारा शिक्षा सहयोगियों के समायोजन हेतु आदेश जारी किये गये थे। मदरसा बोर्ड द्वारा जिन शिक्षा सहयोगियों का समायोजन किया गया है, यदि उन समायोजित मदरसों के सदर-सचिव शिक्षा सहयोगियों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवा रहे हैं तो ऐसे मदरसों को कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं करवाने के आदेशों की पालना नहीं करने के लिए दोषी मानते हुए सम्बन्धित मदरसे की डी-रजिस्टर्ड की कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(सैयद मुकर्रम शाह)
सचिव

राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

दिनांक: 16/01/2023

क्रमांक: एफ. रामबो/संस्था/2022-23/ 478

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समायोजित मदरसों के संबन्धित सदर/सचिव को पालनार्थ प्रेषित है।

सचिव

राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर